राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान फोन नं. 0141–2220963,

क्रमांकः एफ.20 ( )एनएचएम/एचआरडी/2020/1263 दिनांकः 12/06/2020

बैठक कार्यवाही विवरण

एनएचएम में कार्यरत संविदा आयूष चिकित्सक, संविदा जीएनएम/ नर्स ग्रेड द्वितीय और संविदा एएनएम संवर्गों के मानदेय युक्तिकरण (Rationalization) के संबंध में परियोजना निदेशक, एनएचएम की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.2020 को प्रातः 11:00 बजे बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुएः–

1. डॉ0 संजय सक्सेना, संयुक्त निदेशक, (अराजपत्रित)
2. डॉ0 आर के शर्मा, राज्य नोडल अधिकारी–आई.टी. (वरिष्ट चिकित्साधिकारी)
3. श्री रामकिशोर गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम
4. श्री सूर्यप्रताप सिंह राजावात, सलाहकार विधिक
5 श्री.कामेश्वर सिंह,सलाहकार एचआर

बैठक में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पीआईपी/आरओपी के तहत मानदेय युक्तिकरण के प्रावधान एवं एचआर एनेक्जर तथा इस संबंध में प्राप्त आयुष चिकित्सकों, जीएनएम/नर्स ग्रेड द्वितीय एवं एएनएम संगठनों के ज्ञापनों पर विचार विमर्श किया गया।

समिति द्वारा यह तय किया गया कि उपरोक्त तीनों संवर्गों के प्रतिनिधियों से क्रमवार विचार–विमर्श किया जावे। इस क्रम में प्रथमतः दिनांक 18.06.2020 (गुरूवार) को एनएचएम मुख्यालय में आरएचएसडीपी हॉल में प्रातः 11:00 बजे एनएचएम के तहत कार्यरत आयुष चिकित्सकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना है। अतः इस अनुसार प्रेस नोट एवं वेबसाइट के जरिये सूचना जारी की जानी है।

समिति द्वारा राज्य कार्यक्रम अधिकारी/सहायक राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एनएचएम को आगामी सभी बैठकों में विशेष सदस्य के रूप में शामिल किया गया।